

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 9-8-17

संख्या-14/प्रो० 105/2016 सा०प्र०-10228 / बिहार प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित 03 पदाधिकारियों को विभागीय परिपत्र सं०-4800 दिनांक-1.04.2016 के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-14474 दिनांक-25.10.2016 द्वारा दिनांक-13.07.2016 के प्रभाव से संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर (पे-बैंड ₹ 37,400- 67,000/-, ग्रेड पे ₹ 8,700/-) के पद पर दी गयी प्रोन्नति को निम्न रूप से संशोधित किया जाता है:-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं 2011 का कोटि क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन	वैचारिक रूप से प्रोन्नति की तिथि	आर्थिक लाभ सहित प्रोन्नति की तिथि
1	श्री मिथिलेश कुमार, 438	उप विकास आयुक्त, मधेपुरा	13.07.16	13.07.16
2	श्री मो० बशीर, 452	सदस्य बिहार, वक्फ न्यायाधिकरण, पटना	13.07.16	14.07.16
3	श्री ईश्वर चन्द्र शर्मा, 453	अपर समाहर्ता, मुंगेर (अतिरिक्त प्रभार-प्रभारी पदाधिकारी बन्दोवस्त, मुंगेर)	13.07.16	14.07.16

2. यह प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस०एल०पी० (सी०) संख्या-29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

उपर्युक्त प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राम विशुन राय)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक 14/प्रो० 106/16 सा०प्र०-10228/

पटना-15, दिनांक- 9-8-17

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना / सभी संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सभी संबंधित पदाधिकारी / प्रबंधक, आई० टी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु /सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।